

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती**  
**कार्यालय आदेश**

संख्या- 39/2025

दिनांक:-31.01.2025

मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, श्रावस्ती द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 111 दिनांकित 31.01.2025 के माध्यम से इस आशय का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है कि "दिनांक 03.02.2025 को बसंत पंचमी का पर्व है जिसमें हमारे संघ के अधिकांश अधिवक्ताबंधु प्रयागराज जाने हेतु उत्साहित हैं और उक्त तिथि को स्थानीय अवकाश की मांग करते हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अपने विवेकानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करने की कृपा करें।"

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में पारित कार्यालय आदेश संख्या 258/2024 दिनांकित 24.12.2024 के द्वारा दिनांक 14.01.2025 (मंगलवार) को मकर संक्रान्ति का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 590 /Admin. (E-I) Section / XC-4 / Dated : Allahabad 13.01.2025 के अनुपालन में दिनांक 14.01.2025 (मंगलवार) को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। अतः दिनांक 14.01.2025 (मंगलवार) को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में तथा मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, श्रावस्ती के प्रस्ताव दिनांकित 31.01.2025 को स्वीकार करते हुये, पूर्व में पारित उपरोक्त कार्यालय आदेश दिनांकित 24.12.2024 द्वारा दिनांक 14.01.2025 (मंगलवार) को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में घोषित स्थानीय अवकाश के निरस्त होने के परिणामस्वरूप शेष हुये एक स्थानीय अवकाश के रूप में दिनांक 03.02.2025 (सोमवार) को जनपद न्यायालय, श्रावस्ती में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। श्रावस्ती जजशिप में सभी न्यायालय, कार्यालय, अनुभाग तथा ग्राम न्यायालय, इकौना घोषित अवकाश के अनुसार बन्द रहेंगे।


आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय) श्रावस्ती, जिलाधिकारी, श्रावस्ती एवं पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को सूचनार्थ प्रेषित की जाये एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मध्य परिचालित की जाये तथा एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

Sd/-  
(राम मिलन सिंह)  
जनपद न्यायाधीश  
श्रावस्ती।  
दिनांक:- 31.01.2025

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2. प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय) श्रावस्ती
3. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
4. पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।
6. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), श्रावस्ती।
7. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।

8. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) (त्वरित न्यायालय) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती।
9. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती।
10. व्यवहार न्यायाधीश (प्रवर खण्ड), श्रावस्ती।
11. व्यवहार न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) (त्वरित न्यायालय), श्रावस्ती।
12. व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड), श्रावस्ती।
13. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय इकौना, श्रावस्ती।
14. प्रशासनिक अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
15. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
16. प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
17. प्रभारी अधिकारी व्यवहार एवं प्रतिलिपि अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
18. प्रभारी अधिकारी अमीन अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
19. प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय एवं लेखन सामग्री अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
20. नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती को इस आशय के साथ प्रेषित की इस आदेश को जनपद न्यायालय श्रावस्ती की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. नोडल ऑफिसर डिजिटाइजेशन, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
22. जेल अधीक्षक, श्रावस्ती / बहराइच।
23. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
24. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
25. संयुक्त निदेशक अभियोजन, श्रावस्ती।
26. अध्यक्ष / महामंत्री मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, श्रावस्ती स्थान भिनगा।
27. अध्यक्ष / महामंत्री न्यू माडर्न बार एसोसिएशन तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती।
28. अध्यक्ष / महामंत्री अधिवक्ता संघ तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती।
29. प्रभारी निरीक्षक सुरक्षा जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
30. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।
31. बिल अनुभाग जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
32. ई-सेवा केन्द्र जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।
33. एक प्रति नोटिस बोर्ड पर।



(उपेन्द्र श्री राघवेन्द्र)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती